न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 113 / 2013

1. जंगीरकौर पत्नी तारासिंह
2. दर्शनसिंह
3. सतनामसिंह
4. चरणजीतकौर
5. स्वर्णकौर

(2 से 5) पिसरान तारासिंह

6. रघुवीरसिंह पुत्र बूटासिंह

जाति जटसिख निवासीगण चक 5 एलएनपी चक महाराजका तह0 व जिला श्रीगंगानगर

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. गुरदीपकौर बेवा भूरासिंह जाति जटसिख निवासी पिण्ड फुलूखेड़ा तहसीम मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब)।
2. बलकरणसिंह
3. जसकरणसिंह
4. जसवीरसिंह
5. जगमेलसिंह
6. छिन्द्रपालकौर

(2 से 6) पिसरान भूरासिंह जाति जटसिख निवासीगण पिण्डी फुलूखेड़ा तहसील मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब)।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 06.08.2013

उपस्थित—

श्री प्रदीप सिहाग अपीलार्थी

श्री कुलविन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पो. सं.1,3, 5, 6

दिनांक 21.02.2018

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण तारासिंह व रघुवीरसिंह ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ.की धारा 88, 92ए व 188 का पेश किया। उक्त वाद में दिनांक 14.09.2009 को प्रतिवादीगण

21/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश कर कथन किया कि वादी तारासिंह का देहान्त करीब एक वर्ष पूर्व हो चुका है जिसके कायम मुकाम को मृतक के स्थान पर प्रतिस्थापित करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की है। अतः 90 रोज से अधिक समय होने से दावा कानूनन अबेट हो चुका है। अतः दावा अबेट होना मानकर खारिज किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 06.08.2013 को वाद अबेट होना मानकर खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय में अन्य वादीगण भी थे, रघुवीरसिंह की सीमा तक दावा अबेट नहीं हो सकता था। अधी.न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णय देने हेतु अधी.न्यायालय को रिमांड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद में तारासिंह की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान को रेकार्ड पर लेने की कार्यवाही निर्धारित अवधि में नहीं करने पर प्रतिवादीगण ने अधी.न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जो अधी.न्यायालय ने स्वीकार कर वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 06.08.2013 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें वादी तारासिंह की मृत्यु उपरांत उसके वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दावे का उपशमन किया गया है जबकि दावे में तारासिंह के साथ रघुवीरसिंह भी वादी थे जो जिन्दा है फिर भी सम्पूर्ण वाद को अबेट किया है जो विधि अनुकूल नहीं है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

21/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, निर्णय दिनांक 06.08.2013 के उनवान में प्रा.पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी अंकित है जबकि विवेचन में आदेश 22 नियम 4 का विवेचन होकर परिभाषा अंकित है जबकि दोनों प्रावधानों का scope अलग–अलग है। प्रा.पत्र जिस विधि के तहत पेश किया गया है उसकी Bare reading है कि आदेश 22 नियम 3– कई वादीयों में से एक या एकमात्र वादी की मृत्यु की दशा में प्रकियाः–(1) जहां दो या अधिक वादीयों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी को या अकेले उत्तरजीवी वादीयों को बचा नहीं रहता है या एकमात्र वादी या एकमात्र उत्तरजीवी वादी की मृत्यु हो जाती है, और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है वहां इस निमित आवेदन किये जाने पर न्यायालय मृत वादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाएगा और वाद में अग्रसर होगा।

(2) जहां विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उप नियम(1) के अधीन नहीं किया जाता वहां वाद का उपशमन वहां तक हो जाएगा जहां तक मृत वादी का सम्बन्ध है और प्रतिवादी के आवेदन पर न्यायालय उन खर्चों को उसके पक्ष में अधिनिर्णित कर सकेगा जो उसने वाद की प्रतिरक्षा में उपगत किए हों और वे मृत की सम्पदा से वसूल किये जाएगे।

विधि के प्रावधान के दो भाग हैं प्रथम प्रा.पत्र पेश होना, द्वितीय समय सीमा में पेश होना, प्रा.पत्र पेश होना प्रमाणित है तथा समय सीमा के सम्बन्ध में श्रृंखलाबद्ध न्यायिक निर्णयों में Liberal view अपनाया जाकर delay condone किया जाना प्राकृतिक न्याय के रूप में held किया है वही इस विधि के आदेश 22 नियम 3(2) में specific प्रावधान है कि दावे का उपशमन वहां तक हो जाएगा जहां तक मृतक वादी का सम्बन्ध है। परन्तु अधी. न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण दावा ही अबेट कर विधिक भूल की है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होकर अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.08.2013 अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधी. न्यायालय का रिमाण्ड किया जाता है कि दावा , जबाबदावा , तनकीयात

21/4/16
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

एवं उस पर संग्रहित साक्ष्य आधारित पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर